



कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, बलिया।

OFFICE OF THE CHIEF FIRE OFFICER, BALLIA

पत्र संख्या: श- 01/एफ0एस0/2019

दिनांक- मार्च 14, 2019

सेवा में,

कुलपति महोदय,
जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय,
बलिया

विषय: जनहित याचिका संख्या-483 /2004 अवनीश महलोत्रा बनाम यूनियन आफ इण्डियन व अन्य में पारित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक -13/04/2009 के अनुपालन में जनपद बलिया के समस्त महाविद्यालय (सरकारी / निजी) भवनों में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा के उपायो को सुदृढ़ किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- परिषद-9 / मान्यता / 362 दिनांक -22 जुलाई 2009।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषय के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि जनपद बलिया में संचालित महाविद्यालय (सरकारी / निजी) भवनों में जनहित याचिका संख्या-483 /2004 अवनीश महलोत्रा बनाम यूनियन आफ इण्डियन व अन्य में पारित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक -13/04/2009 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में शासन ने मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13/04/2009 के अनुपालन किये जाने हेतु शासनादेश संख्या -1801 /15-7-09-01 (124) / 2009 दिनांक 20-07-2009 द्वारा निम्नवत आदेश प्रदान किये हैं।

1. पूर्व से संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालयों को प्रत्येक दो वर्ष में एवं नवीन मान्यता के लिए आवेदित विद्यालयों को मान्यता देने से पूर्व निरीक्षण किये जाने के लिए जिला विद्यालय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाय, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा नामित सहायक अभियंता / अग्निशमन विभाग के अधिकारी को सदस्य नामित किया जाय। संस्था प्रबंध तंत्र द्वारा मान्यता हेतु आवेदन करने के पूर्व उक्त गठित समिति से निरीक्षण करा कर अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही मान्यता के लिए आवेदित किया जायेगा।
2. उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 के धारा 7 (क) के अंतर्गत राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन हेतु प्रेषित नवीन मान्यता प्रकरणों की सूची तैयार कराकर अग्निशमन व्यवस्था के निर्धारित मानक को पूर्ण कर प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त संदर्भित विषय के परिपेक्ष्य में सम पत्रांक दिनांक 13/02/2019 को भी आप के कार्यालय पत्र प्रेषित की गयी थी।

अतः पुनः आप को अवगत कराना है कि जनपद में संचालित समस्त महाविद्यालय (सरकारी / निजी) भवनों अग्नि सुरक्षा एवं मौजूद लोगों की जीवन रक्षा को ध्यान में रखते हुए जनपद में संचालित महाविद्यालय (सरकारी / निजी) भवनों संस्थानों के प्रबन्धकों को अपने स्तर से निर्देशित करने की कृपा करें कि वे 07 दिवस के अंदर अग्निशमन विभाग में आवेदन कर अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण/परीक्षण एवं शेष कमियों को पूर्ण कर प्रमाण-पत्र प्राप्त करें एवं विहिप शुल्क राजकीय कोष में जमा कराना सुनिश्चित करें। ताकि जनपद की उक्त इकाईयों की अग्नि सुरक्षा, जीव रक्षा प्रणाली व्यवस्था का समीक्षा करते हुए उन्हे मानक के अनुसार बनाये रखना सुनिश्चित किया जा सके।

[Handwritten Signature]
14/03/19

(तबारक हुसैन)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी,

मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
बलिया

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय

[Handwritten Signature]
कुलसचिव
जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय
बलिया (उ0प्र0)